



केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
 18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
 Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-16.07.2021

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**


माननीय सांसद **Dr. Mohammad Jawed** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या.47 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गतसत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	HASSAN SAIDI	SH. MUSHFIQUE AHSAN REZA MOB- 8544302841	8	KISHANGANJ
2	SOURAV KUMAR MISHRA	SH. RAM KRISHNA MISHRA MOB- 9431885403	9	KISHANGANJ
3	ANSAB NAYEZ	SH. NEYAZ MUZAFFAR HALAMALA MOB- 9931828481	9	KISHANGANJ
4	TITHI PRIYA	SH. PRADEEP KUMAR MOB- 9431411757	3	KISHANGANJ
5	SHIREEN MASWOOD	MD. MASWOOD ALAM MOB- 9471686893	4	KISHANGANJ
6	AMIT KUMAR MAHTO	SH. DOMA MAHTO MOB- 9608086786	7	KISHANGANJ
7	SAIMA KULSOOM	MD. ISTIAQUE HUSSAIN MOB- 7903397870	4	KISHANGANJ
8	SATYAM RAJ	SH. RAJU SINGH MOB- 6200135451	6	KISHANGANJ
9	WASIF ALTAMUS	SH. MUSHIR AHSAN RAZA MOB- 9810019406	3	KISHANGANJ
10	UMMI HAYAT	MOHAMMAD NASRUL HAWAI MOB- 9431274505	5	KISHANGANJ

*A. J. Jawed*  
 कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Mohammad Jawed माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **PATNA** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)